प्रेस नोट

दिनांक 07.04.2025

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 62/25, धारा 109(1),115(2),352,351(3),324(4) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों- 01. अनुराग पाण्डेय पुत्र मुनि प्रकाश पाण्डेय, 02. शिवा सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह को ग्राम जोतिया जाने वाली पक्की सड़क से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.04.2025 को वादी श्री फैजान उल्ला पुत्र मो0 हुसैन नि0 रूद्रगढ नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 06.04.2025 को मै अपनी मोटरसाईकिल से रूद्रगढ नौसी पावर हाउस तिराहे से मुडकर सिंहपुर की तरफ जा रहा था कि नरसरिया मोड़ के पास विपक्षी अनुराग पाण्डेय व शिवा सिंह द्वारा अपनी आई-20 कार से टक्कर मार दिया, जमीन पर गिरते ही विपक्षीगणों ने जान से मारने की नियत से दोबारा कार से कुचलने का प्रयास किया गया तथा गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना धानेपुर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों-01. अनुराग पाण्डेय पुत्र मुनि प्रकाश पाण्डेय, 02. शिवा सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह को ग्राम जोतिया जाने वाली पक्की सड़क से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अनुराग पाण्डेय पुत्र मुनि प्रकाश पाण्डेय नि0 सिंहपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. शिवा सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 मदरहवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-62/25, धारा 109(1),115(2),352,351(3),324(4) बीएनएस व 3/25/7 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 जय हिन्द।
02. उ0नि0 त्रिपुरारी मिश्रा।
03. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव।
04. हे0का0 मानसिंह।
05. हे0का0 आनन्द सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 07.04.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा एससीपीएम नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कालेज की छात्राओं को आत्म-निर्भर, सशक्त और समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाएं, एन्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा मनचलों/शोहदों के विरूद्ध कार्यवाही करने , फीडबैक फार्म भरवाकर नये स्थलों की जानकारी एकत्रित करना तथा मनचलों को जारी किए जा रहे रेडकार्ड के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी-

गोण्डा। आज दिनांक 07.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व क्षेत्राधिकारी लाइन उदित नारायन पालीवाल द्वारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने तथा आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक स्तर पर महिलाओं/छात्राओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हे सशक्त बनाने की दिशा में एससीपीएम नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कालेज की छात्राओं को सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाएं, एन्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा मनचलों/शोहदों के विरूद्ध कार्यवाही करने , फीडबैक फार्म भरवाकर नये स्थलों की जानकारी एकत्रित करना तथा मनचलों को जारी किए जा रहे रेडकार्ड के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी-

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा छात्राओं को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जाससससवाल द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं को आत्म-निर्भर, सशक्त और समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु तथा मिशन शक्ति टीम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अभिनव प्रयोग किया गया है। जिसके तहत अब सभी एन्टी रोमियों स्क्वायड टीम स्कूल कॉलेजों में जा कर, वहां के प्रधानाचार्य के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा फीडबैक फॉर्म को छात्राओं के बीच वितरित करा के उनके बहुमूल्य सुझाव लिए जा रहे है। जिससे ऐसे स्थानों जहाँ पर शोहदों का जमावड़ा रहता है चिन्हित करने में मदद मिल रही है। फीडबैक से प्राप्त सुझावों के आधार पर चिन्हित समय व स्थानों पर एन्टी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता बढायी गयी है। छात्राओं द्वारा अपने फीडबैक में दिये गए सभी बिंदुओं को थानावार चिन्हित कर उनकी मैपिंग की जा रही है। जिससे सभी टीमों को शोहदों/मनचलो द्वारा छात्राओ/महिलाओं के विरूद्ध छींटाकशी/अपमानजनक टिप्पणी किये जाने वाले, उनको घूरना या पीछा करने जैसे स्थानों की व्यापक जानकारी हो रही है। चिन्हित स्थानों पर पुलिस की एण्टी रोमियो स्क्वाड टीम मनचलो को पकड़ कर रेड कार्ड दे रही है। अंतिम चेतावनी स्वरूप निर्गत रेड कार्ड पाने वाले शोहदे दुबारा इस तरह की हरकत करते पाये गये तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करेंगी। क्षेत्राधिकारी लाइन द्वारा छात्राओं को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि छात्राओं/महिलाओं से फीडबैक प्राप्त करने का पुलिस का उद्देश्य यह है कि हम उन स्थानों को चिन्हित कर सके जहां मनचले लड़को का जामावड़ा लगा रहता है। शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति में बालिकाओं और महिलाओं की सीधी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में गोण्डा पुलिस द्वारा ये पहल की जा रही है। तत्पचात एण्टीरोमियों टीम द्वारा छात्राओं को फीडबैक फार्म वितरित कराकर उनके बहुमूल्य सुक्षाव लिए गए तथा छात्राओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर चिन्हित स्थानों की मैपिंग करायी गयी।उक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.04.2025 को सभी एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा कुल- 80 स्कूल/कालेजों में पंहुचकर छात्रा/छात्राओं से करीब 2184 फीडबैक फार्म प्राप्त कर सुझाव लिए गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर अब तक जनपद में 39 स्थानों को चिन्हित कर मैपिंग करायी गयी।

इस अवसर पर अति0 प्र0नि0 को0 नगर श्री अरविन्द यादव, एण्टी रोमियों टीम प्रभारी म0उ0नि0 पूजा वर्मा सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 07.04.2025, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्यभियुक्त को हुई आजीवन सश्रम कारावास व रूपए 1,00,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.09.2023 को थाना खोड़ारे क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जगन्नाथपुर स्थित पंपापुर जंगल के पास एक अधजली महिला का शव प्राप्त हुआ था। सूचना पर उच्चाधिकारीगणों द्वारा डॉग स्क्वायड एवं फॉरेसिंक टीम के साथ घटना स्थल की जांच की गयी थी। मृतका की पुत्री ज्योति पुत्री हरिप्रसाद नि0 सेसुई इटवा सिद्धार्थनगर की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा पतारसी-सुरागरसी कर घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त भगवानदीन को दिनांक 03.10.2023 को चन्द्रदीप घाट पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ था कि गिरफ्तार अभियुक्त झाड़-फूंक का काम किया करता था। झांड़-फूंक के बहाने अक्सर अभियुक्त मृतका के घर आया जाया करता था। फरवरी 2023 में मृतका अभियुक्त भगवानदीन के साथ अपना घर छोड़कर चली आयी थी और उसी के साथ रहती थी। अभियुक्त भगवानदीन मृतका से गलत काम करवाना चाहता था महिला के मना करने से भगवानदीन छुब्ध हो गया था और इसी बात के चलते भगवानदीन द्वारा सुनियोजित तरीके से महिला को पंपापुर जंगल के पास ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा शव की शिनाख्त न हो इस कारण महिला को जला दिया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अरविन्द कुमार कोरी द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार तृतीय, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री विनय कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर व थाना खोड़ारे के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 07.04.2025 को दोषी अभियुक्त भगवानदीन को आजीवन सश्रम कारावास व 1,00,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. भगवानदीन पुत्र रघुनाथ नि0 ग्राम देईपार थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-236/23 धारा 302,201 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 07.04.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आपराधिक विश्वासघात कर चोरी करने वाले क्लीनर को गया गिरफ्तार, 160.35 क्विंटल गेहूं लदा हुआ ट्रक, 85,915 रू0 नगद बरामद-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-249/25, धारा 306 बीएनएस से सम्बन्धित आपराधिक विश्वासघात करने वाले ट्रक क्लीनर मनीष यादव पुत्र शिवकुमार नि0 पिठिया लश्करी सूदीपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती को संदेशवा जाने वाले रोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 160.35 क्विंटल गेहूं लदा हुआ ट्रक, 85,915 रू0 नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अनुपम दूबे पुत्र राजकुमार दूबे नि0 ग्राम नकहा बसंत थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि वह अपने ट्रक वाहन सं0 यू0पी042बी0टी0 0477 में दिनांक 02.04.2025 को सफदरगंज बाराबंकी से व्यवसायी अशोक कुमार गुप्ता का 304.70 क्विंटल गेहूं गोण्डा के लिए चला था। प्रार्थी अपनी गेहू लदी गाड़ी मंगलम गेस्ट हाउस निकट स्थित उर्मिला धर्मकांटा(गोण्डा) के पास खड़ी कर चाभी अपने क्लीनर मनीष यादव को देकर दवा लेने चला गया था। जहां से क्लीनर मनीष यादव गेहूं लदा ट्रक चोरी करके कही चला गया है। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 07.04.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना कारित करने वाले क्लीनर मनीष यादव को संदेशवा जाने वाले रोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 160.35 क्विंटल गेहूं लदा हुआ ट्रक, 85,915 रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मनीष यादव पुत्र शिवकुमार नि0 पिठिया लश्करी सूदीपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-249/25, धारा 306,317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

माल बरामदगी

01. 160.35 क्विंटल गेहूं
02. 85,915 रू0 नगद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उदित कुमार वर्मा।
02. हे0का0 श्रवण कुमार यादव।
03. का0 हरिकेश सिंह।
04. का0 गोविन्द कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।